**भारत सरकार**

**नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 2938**

**बुधवार, दिनांक 06 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने हेतु**

**अपशिष्ट से ऊर्जा कार्यक्रम**

**2938. श्री एस. जगतरक्षकन:**

**क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) अपशिष्ट से ऊर्जा कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों और स्वीकृत परियोजनाओं का राज्य-बार ब्यौरा क्या है;

(ख) स्वीकृत परियोजनाओं से उत्पादित ऊर्जा संबंधी आंकड़ों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उत्पादित ऊर्जा का पूर्ण रूप से उपयोग किया जा रहा है और यदि हां, तो ऊर्जा के प्रकार के अनुसार आवंटित संयंत्रों का राज्य-बार ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार के पास इन परियोजनाओं के अंतर्गत आवंटित केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) संबंधी राज्य-वार रिकॉर्ड है, यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**

**नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्‌युत राज्य मंत्री**

**(श्री श्रीपाद येसो नाईक)**

(क) राष्ट्रीय जैवऊर्जा कार्यक्रम (एनबीपी) के चरण-1 के दौरान, अपशिष्ट से ऊर्जा (डब्ल्यूटीई) कार्यक्रम के अंतर्गत आवेदनों का राज्य-वार विवरण **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

(ख) एवं (ग) अपशिष्ट से ऊर्जा (डब्ल्यूटीई) कार्यक्रम के अंतर्गत समर्थित विभिन्न घटकों तथा उत्पादित विद्‌युत का उपयोग निम्नलिखित अनुप्रयोगों में किया जाता है:

i. **बायोगैस**: विद्‌युत उत्पादन के लिए बॉयलर तथा गैस इंजनों में उपयोग किया जाता है।

ii. **बायो-सीएनजी**: प्राकृतिक गैस के स्थान पर शुद्‌ध परिवहन ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है।

iii. **बायोमास गैसीफायर**: तापीय तथा बिजली के अनुप्रयोगों के लिए उपयोग किया जाता है।

एनबीपी के चरण-I के दौरान डब्ल्यूटीई कार्यक्रम के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं की स्थापित क्षमता का राज्य-वार विवरण **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

(घ) एनबीपी के चरण-I के दौरान डब्ल्यूटीई कार्यक्रम के अंतर्गत आवंटित केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) का राज्य-वार विवरण **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

**'अपशिष्ट से ऊर्जा कार्यक्रम' के संबंध में पूछे गए दिनांक 06.08.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2938 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-I**

एनबीपी के चरण-I के दौरान अपशिष्ट से ऊर्जा कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त तथा स्वीकृत आवेदनों का राज्य-वार विवरण

| **राज्य** | **प्राप्त आवेदनों की संख्या** | **स्वीकृत** | |
|---|---|---|---|
| | | **परियोजनाओं की संख्या** | **सेवा शुल्क सहित सीएफए (करोड़ रुपये में)** |
| आंध्र प्रदेश | 16 | 4 | 3.46 |
| बिहार | 2 | - | - |
| छत्तीसगढ | 3 | - | - |
| दिल्ली | 2 | 2 | 9.52 |
| गोवा | 2 | 1 | 3.03 |
| गुजरात | 19 | 4 | 15.30 |
| हरियाणा | 28 | 11 | 54.96 |
| झारखंड | 1 | 1 | 4.25 |
| कर्नाटक | 12 | 5 | 19.58 |
| मध्य प्रदेश | 13 | 2 | 11.90 |
| महाराष्ट्र | 35 | 9 | 50.32 |
| ओडिशा | 4 | - | - |
| पंजाब | 19 | 7 | 64.11 |
| राजस्थान | 13 | 2 | 3.98 |
| तमिलनाडु | 12 | 5 | 22.26 |
| तेलंगाना | 9 | 5 | 12.76 |
| उत्तर प्रदेश | 97 | 17 | 87.99 |
| उत्तराखंड | 6 | 1 | 10.20 |
| पश्चिम बंगाल | 5 | 2 | 0.70 |
| **कुल** | **298** | **78** | **374.32** |

**'अपशिष्ट से ऊर्जा कार्यक्रम' के संबंध में पूछे गए दिनांक 06.08.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2938 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-II**

एनबीपी के चरण-I के दौरान, डब्ल्यूटीई कार्यक्रम के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं की स्थापित क्षमता का राज्य-वार विवरण

| राज्य | स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या | संचयी स्थापित क्षमता ( MWeq में ) |
|---|---|---|
| आंध्र प्रदेश | 4 | 0.87 |
| दिल्ली | 2 | 2.33 |
| गोवा | 1 | 1.00 |
| गुजरात | 4 | 4.38 |
| हरियाणा | 11 | 15.89 |
| झारखंड | 1 | 1.04 |
| कर्नाटक | 5 | 6.71 |
| मध्य प्रदेश | 2 | 3.60 |
| महाराष्ट्र | 9 | 18.35 |
| पंजाब | 7 | 22.97 |
| राजस्थान | 2 | 0.98 |
| तमिलनाडु | 5 | 7.04 |
| तेलंगाना | 5 | 4.53 |
| उत्तर प्रदेश | 17 | 29.37 |
| उत्तराखंड | 1 | 4.17 |
| पश्चिम बंगाल | 2 | 2.70 |
| कुल | 78 | 125.93 |

*****